न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 90 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. उमाराम पुत्र सिमरथाराम जाति जाट, निवासी चौरालिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर।	बनाम	1.उदाराम पुत्र राजुराम 2.डालुराम पुत्र राजुराम 3.कसुम्बी बेवा राजुराम 4.मुलाराम पुत्र कौशलाराम 5.हरखुदेवी पत्नी कौशलाराम 6.खेताराम पुत्र खरथाराम 7.जोगाराम पुत्र खरथाराम जातियान जाट निवासीयान चौरालिया, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर। 8.मगाराम पुत्र लालाराम 9.दौलाराम पुत्र लालाराम 10.खेराजराम पुत्र लालाराम 11.लिछमणाराम पुत्र लालाराम 12.देराजराम पुत्र लालाराम 13.धुड़ी बेवा लालाराम के का.मु. 13 / 1चम्पादेवी पुत्री लालाराम 13 / 2मीरो देवी पुत्री लालाराम 14.मोटाराम पुत्र कलाराम जातियान जाट निवासीयान चौरालिया, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर। 15.शाखा प्रबन्धक, दी बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर। 16.शाखा प्रबन्धक जयपुर थार आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा सवाऊ पदमसिंह 17.तहसीलदार बायतु।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 31 / 2015 बअनवान उदाराम वगैरह बनाम उमाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09. 10.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश एन. सारण रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07 की ओर से।
3. वकील श्री दलपतसिंह सिसोदिया रेस्पोडेंट संख्या 08 से 13 / 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 26.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा चौरालिया पटवार हल्का शहर के खेत खसरा संख्या 276 रकबा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 153 रकबा 88

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बीघा, खसरा संख्या 278 रकबा 263.16 बीघा, खसरा संख्या 133 रकबा 327.02 बीघा व मौजा गोगाजी का मन्दिर पटवार हल्का शहर के खसरा संख्या 81 रकबा 112.16 बीघा व खसरा संख्या 100 रकबा 25 बीघा भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 की पुश्तैनी एवं पैतृक सम्पति है। वक्त सेटलमेंट के समय वादीगण के पूर्वज खरथा पुत्र उम्मेदा व प्रतिवादी संख्या 01/अपीलांट उसके लाऔलाद फौत भाई खेता पुत्र सिमरथाराम का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त था तथा 1/2 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 से 08 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था। मौजा गोगाजी का मन्दिर के खसरा संख्या 81 व 100 का पर्चा लगान सही रूप से जारी किया गया। लेकिन मौजा चोरालिया के खेत खसरा संख्या 276, 153, 278, 133 का वक्त सेटलमेंट में पर्चा लगान जारी करते समय 1/3 हिस्सा वादीगण के पूर्वज खरथाराम के नाम, व प्रतिवादी संख्या 01 व उसके भाई खेता पुत्र सिमरथा का 2/3 हिस्सा व 1/2 हिस्सा चिमा पुत्र माना के नाम से जारी किया गया जो सरासर गलत अंकित किया गया है क्योंकि वादग्रस्त खेत में वादीगण 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्से का अर्थात सम्पूर्ण खेतों में 1/4 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सह खातेदार घोषित किया जावे तथा अपने हिस्से की भूमि को बाई मीटीस एण्ड बोण्डस अलग करवाने का इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन नोटिस की पुश्त पर फर्जी अंगुष्ठ निशान करवाकर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये जिस पर प्रतिवादी संख्या 03 व 09 से 11 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 03.02.2016 को अमल में लाई गई। दिनांक 03.05.2017 को प्रतिवादीगण का जबाव बंन्द किया गया एवं उसी दिन वादीगण द्वारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की इस्तदुआ व वाद पत्र के पद संख्या 12 के उप पद (ग) में अंकित मौजा गोगाजी का मन्दिर के खसरा संख्या 81 व 100 में चाही गई प्रार्थना को विड्रो करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो उसी दिन स्वीकार किया गया। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि हस्तगत वाद के नोटिस की अपीलकर्ता को कभी तामिल नहीं हुई है और न ही अपीलकर्ता ने इस प्रकरण में पैरवी हेतु वकील रिणछाराम को नियुक्त किया था अपीलकर्ता ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपने खेतों की नेखमबंदी के आवेदन हेतु अधिवक्ता रिणछाराम को वकालतनामा एवं पाइप पेपर पर हस्ताक्षर करके दिये थे जिसका गलत रूप से उपयोग अधिवक्ता द्वारा वाद में किया गया। अपीलकर्ता साक्षर है तथा हस्ताक्षर कर्ता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की पुश्त पर अपीलकर्ता के अंगुष्ठ निशान किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया स्थापित है कि अपीलकर्ता को कभी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलाधीन निर्णय एकतरफा एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने के साथ ही साथ उतरदाता संख्या 01 से 07 द्वारा तथ्य को छुपाते हुये अपनी आराजी खातेदारी के खेतों को छोड़ कर अपीलकर्ता के हिस्से की भूमि जो उसके भाई खेता से प्राप्त हुई उसे हड़प करने के लिए वाद प्रस्तुत कर कपट एवं गुमराह कर निर्णीत करवाया है। अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2012(1) Page 444

अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 08 से 13/2 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुति के साथ ही मौखिक बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्रतिवादीगण को कभी प्राप्त नहीं हुए तथा हस्तगत प्रकरण की जानकारी उन्हें नहीं हुई थी। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। वादीगण ने गलत आधारों एवं मिथ्या तथ्यों के आधारों पर अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 187, 188, 189 को छुपाते हुए मात्र अपीलकर्ता उमा को तंग एवं परेशान करने एवं उसकी भूमि हडप करने के उद्देश्य से यह दावा मिथ्या एवं अपूर्ण पेश किया गया है जो दावा सही नहीं है। अपीलकर्ता से अधिक भूमि वादीगण के पास है। अतः वादीगण का एक ही परिवार की संयुक्त पूर्वजों के पैतृक खातेदारी के आधार पर प्रस्तुत यह दावा खारिज करने के आदेश फरमावें।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07 की ओर से लिखित बहस के साथ–साथ मौखिक बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक ने बताया कि वादीगण के पूर्वज खरथा का तथा अपीलांटगण का संयुक्त खेत खसरा संख्या 276, 153, 278, 133 भूमि में तथा खसरा संख्या 81, 100 की भूमि 1/2 में से (1/4–1/4) हिस्सा बनता था, लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों से मिलावट करते हुए अपीलांट के द्वारा खसरा संख्या 276, 153, 278, 133 की भूमि में वादीगण के पूर्वज खरथा का हिस्सा कम कर दिया गया जिसकी जानकारी होने पर वाद में राजस्व अधिकारियों ने उक्त त्रुटि को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner

सुधारते हुए आवश्वासन दिया और केवल **खसरा संख्या 133 की त्रुटि सुधारने** से वादीगण के पूर्वज का हिस्सा सुधार किया था तथा खसरा संख्या 81, 100 में वादीगण के पूर्वज खरथा तथा अपीलांट उमाराम के भाई खेता के नाम दर्ज 1/2 हिस्से में किया जो सही किया था। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.02.2016 को सम्मन तामिल होकर प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 01 उमाराम/अपीलांट तथा 02, 04 से 08 ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 03 व 09 से 11 बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर एक्स पार्टी की गई थी। पत्रावली वास्ते जबाव रखी गई थी। उक्त तामील व अधिवक्ता हाज़िर होने के पश्चात अपीलांट/प्रतिवादीगण को जबाव हेतु 06 अवसर दिये गये फिर भी जबावदावा पेश नहीं करने से जबावदावा बंद करके वादीगण के साक्ष्य हेतु रखी गई। दिनांक 26.09.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित नहीं होने पर एक्स पार्टी की गई थी। अपीलांट द्वारा अपने वकील रिणछाराम सियाग को नेखमबंदी करवाने हेतु वकालतनामा दिया था तो उस समय खेत खसरान के नक्शा एवं जमाबंदी की प्रतियां भी हल्का पटवारी से ली गई थी, उसके बारे में प्रतिलिपि प्राप्त करने का सबूत भी अपील में पेश करता। वकील रिणछाराम सियाग द्वारा अपीलांट के वकालतनामा का दुरूपयोग किया है, केवल मात्र मनगढत मिथ्या, प्राक्कथन है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि मामले के पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय होना चाहिए। जिसकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय संगत पालना की गई है। यदि कोई पक्षकार स्वयं की घोर उपेक्षा करे तथा अपने अधिकारों के प्रति सजगता नहीं रखे तो उसके इस कृत्य से नुकसान स्वयं पक्षकार भुगतेगा न कि विरोधी पक्षकार। अपीलांट को तामील फर्जी मिलावट करते करवाई तो तामिल कुनिन्दा के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही करते तथा विभागीय शिकायत अपीलांट को करवाने का समुचित अवसर था फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। केवल मात्र मिथ्या मनगढत आरोप लगाये हैं, जो बिना दस्तावेजी साक्ष्य के तथा बिना युक्तियुक्त आधार के होने से उक्त अपील खारिज योग्य है। क्योंकि साक्ष्य अधिनियम धारा 8 स्पष्टीकरण अनुसार केवल कथन ही सुंगत नहीं होते है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया। उतरदाता संख्या 01 से 08 द्वारा एक सप्ताह पूर्व अपीलकर्ता के कब्जे एवं काश्त में दखलंदाजी करते हुए वादग्रस्त खेत से अपीलकर्ता को जबरन बेदखल करने की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

धमकियां दी और अधीनस्थ न्यायालय से अपने पक्ष में हुए निर्णय एवं डिक्री जारी करवाने की बात कही तब अपीलाधीन निर्णय की दिनांक 08.08.2018 को नकलों हेतु आवेदन किया जो उसी दिन प्राप्त हो गई। धारा 05 प्रार्थना में अंकित अभिकथनों एवं खण्डन उतरदाता संख्या 01 से 07 द्वारा सशपथ–पत्र नहीं किया है। यहां उल्लेखनीय है कि नोटिस की प्रस्तुत पर अपीलकर्ता का अंगुष्ठ निशान लगाया गया है परन्तु अपलकर्ता हस्ताक्षर करता है इससे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2002(1) Page 648
RLW 2011(1) Page 262
DNJ 2003(3) Page 1090
RRD 1994 Page 604

अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील मियाद छूट हेतु पेश आवेदन धारा 05 परिसीमा एक्ट 1963 में केवल कपोल कल्पित, मिथ्या, मनगढत आधार मियाद छूट हेतु अंकित किये है, जिनके समर्थन में पत्रावली पर न तो कोई ठोस आधार है, न ही कोई दस्तावेज या अन्य सामग्री जो म्याद छूट का समर्थन करने/विलम्ब का उचित स्पष्टीकरण करती हो। अपीलांट द्वारा नोटिस तामिल को फर्जी एवं तामिल कुनिन्दा से मिलावट करके तामील होना बताया है जबकि दिनांक 03.02.2016 को अपीलांट एवं अन्य प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रिणछाराम सियाग द्वारा पैरवी हेतु वकालतनामा पेश किया गया था। अतः मामले की पूर्ण जानकारी अपीलांट को हो गई थी। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2010(2) Page 801
DNJ 2014 (SC) Page 310
RRT 2016-17(Supp.) Page 158
DNJ (Raj.)2012(2) Page 781
DNJ (CC) 2011 Page 95
DNJ (CC) 2012 Page 81

अतः लिमिटेशन के आधार पर ही अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांट के नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अंगुष्ठ निशान किये हुए है जबकि अपीलांट साक्षर है तथा हस्ताक्षर करता है जो अपील एवं उनके वकालतनामों से स्पष्ट है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करवाई गई तामीली कार्यवाही संदेहास्पद है संदेह का लाभ अपीलांट को दिया जाना युक्तिसंगत है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर अपील को खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। वादीगण के वादपत्र के विभिन्न पदों में अंकित किये गए तथ्यों का राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादीगण के दावे के वाद–पत्र एवं निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कई त्रुटियां स्पष्ट इंगित हुई हैः–

1. ग्राम शहर में वक्त सेटलमेंट उभयपक्ष के पूर्वजों के विवरण के आधार पर उनसे संबंधित खेतों की पर्चा खतौनी एवं खतौनी बंदोबस्त मुताबिक खसरा संख्या 151, 152 (गैर मुमकिन कुल रकबा 01.02 बीघा) (EXP-5)(प्रतिवादी पक्ष) में भी प्रतिवादी संख्या 01 के भाई खेता वल्द सिमरथा के साथ चिमा वल्द माना सहखातेदार रूप में नाम दर्ज हुआ है। खसरा संख्या 187, 188 व 189 (वादी पक्ष) के संबंध में प्रविष्टियां क्रमशः इस प्रकार पाई गई हैः– खरथा वल्द उम्मेदा। फिर भी इन पांचों खसरों/खेतों के संबंध में दावे में कोई उल्लेख तक नहीं है। इन्हें दावे में सम्मिलित नहीं किये जाने के कारणों का भी उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि इन खेतों का भी सीधा संबंध उभयपक्ष के पूर्वजों से है यदि इन सबका एक ही संयुक्त परिवार एवं भूमि पुश्तैनी मानी जाती है। इस रूप में वादीगण का दावा केवल अपीलांट की खातेदारी वाले 02 खसरों की भूमि तक ही सीमित है, जो स्पष्ट रूप से अपूर्ण होने के कारण सद्भाविक नहीं है।
2. वादीगण के द्वारा वादपत्र में वर्णित वंशवृक्ष असत्य एवं अपूर्ण है। अपीलांट द्वारा बहस में दर्शित वंश–वृक्ष पक्षकारों के विवरण को देखते हुए सही प्रतीत होता है। इस वंश वृक्ष के आधार पर उभयपक्ष का सीधी कड़ी रूप में निकट का कोई संबंध नहीं है। वक्त सेटलमेंट उन सब का एक संयुक्त परिवार मानने के लिए कोई पुष्ट आधार रिकॉर्ड पर नहीं है। कई खसरों में उमा के

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सगे भाई खेता के साथ उमा का नाम अंकित नहीं है। इसका मतलब दोनों भाई वक्त सेटलमेंट पृथक–पृथक थे, इसलिए अन्य दूर के पक्षकारों को एक संयुक्त परिवार का सदस्य मानने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है।

3. भू–प्रबंध विभाग खतौनी बंदोबस्त संवत 2012 से 2031 (EXP-5) ग्राम शहर के खाता संख्या 24 खसरा संख्या 133 के संबंध में प्रविष्टि है कि "चिम्मा वल्द माना 1/2 हिस्सा; रावता वल्द उम्मेदा 1/3 हिस्सा, खेता वल्द सिमरथा 2/3 हिस्सा है जबकि रावता का वंश वृक्ष में कोई उल्लेख नहीं है। उक्त वादग्रस्त खसरा संख्या 133 के संबंध में पर्चा खतौनी के खाता संख्या 24 में खातेदारी की प्रविष्टि उपरोक्तानुसार थी जो वर्तमान में (प्रदर्श ?) ग्राम चौरालिया के खाता संख्या 36 जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के अनुसार मगाराम दौलाराम खेराजराम लिछमणाराम देराजराम पिता लालाराम धूड़ी देवी पत्नी लालाराम 1/2 खेता वल्द खरथा उदाराम डालूराम पिता राजूराम कसुम्बी पत्नी राजूराम मूलाराम वल्द कौशलाराम उमा वल्द सिमर्था 1/2 कौम जाट सा0 देह खातेदार"। इस संबंध में म्यूटेशन संख्या 08 मुताबिक पंचायत के फैसले दिनांक 23.01.1960 से खाते में दुरूस्ती हुई जिसका कथन दावे में नहीं किया गया है। इसलिए वादी पक्ष का यह कथन मान्य नहीं है कि "पक्षकारों के मौके एवं कब्जा काश्त मुताबिक इन्द्राज हो गया। तत्समय शेष रहे वादग्रस्त 02 खसरों में कोई संशोधन पंचायत के फैसले में नहीं होने का अर्थ है कि उसमें कोई तब्दीली खसरा संख्या 133 की शुद्धि के समय किया जाना मुनासिब नहीं पाया गया।

4. भू–प्रबंध विभाग खतौनी बंदोबस्त संवत 2012 से 2031 खाता संख्या 22 (EXP-5) के अनुसार ग्राम शहर के खसरा संख्या 151 व 152 गैर मुमकिन कुल रकबा 01.02 बीघा में भी प्रतिवादी संख्या 01 के भाई खेता वल्द सिमरथा के साथ चिमा वल्द माना सहखातेदार रूप में नाम दर्ज हुआ जिसके संबंध में दावे में कोई कथन नहीं है।

5. वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दावे में प्रतिवादी संख्या 08 मोटाराम पुत्र कलाराम का वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे में पद संख्या 01 में दर्शित वंशवृक्ष में कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए वादीगण का पद संख्या 02 में यह कथन मान्य नहीं है कि "वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त पैतृक भूमि है।"

6. ग्राम चौरालिया के खेत खसरा संख्या 276, 153, 278, 133, का पर्चा लगान, जिसे दावा में सरासर गलत जारी होने का कथन किया गया है, को रिकॉर्ड

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पर पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, जो कि दावे का मूल आधार एवं आत्मा कहा जा सकता है। इसके अभाव में दावे के कथनों की पुष्टि करना संभव नहीं है।

7. हस्तगत वाद के एक गवाह नगाराम पुत्र पुरखाराम (PW-4) जाति जाट उम्र 40 वर्ष होने से वक्त सेटलमेंट की घटनाओं के संबंध में, जो उसके जन्म से पूर्व की है, उसके कथनो पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसी तरह दूसरे गवाह (PW-3) सवाईराम पुत्र कनाराम जाति सुथार की उम्र में कांट–छांट की गई है, जो संदेहास्पद है।

8. अपीलाधीन वाद में बंटवाड़े की इस्तदुआ दिनांक 03.05.2017 को वापस लेने के आवेदन पर केवल वकील वादी के हस्ताक्षर हैं तथा उनके द्वारा ही इसे पेश किया गया है जिस पर वादीपक्ष की ओर से किसी के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि वादी संख्या 07 जोगा पुत्र खेताराम (PW-2) के शपथ–पत्र दिनांक 04.08.2017 में बंटवाड़े की इस्तदुआ का कथन यथावत किया हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि उस वक्त तक वादी वकील ने अपने पक्षकारों के ध्यान में लाये बिना बंटवाड़े की इस्तदुआ वापस लेने का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया।

9. दावे में साक्षियों द्वारा प्रदर्शित अभिलेख पर प्रदर्श संख्यांक में कांट–छांट है जिसके कारण वह अस्पष्ट एवं संदेहास्पद है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/2015 बअनवान उदाराम वगैरह बनाम उमाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2017 को अपास्त किया जाता है।

26/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner